कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ)

- विज्ञापन -

क्रमांक 834/ दो–11–13/2008 कांकेर दिनॉक 05 अगस्त 2013

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17–09–2013 संध्या 5:00 बजे तक
लिखित परीक्षा की तिथि 06 अक्टुबर 2013

उत्तर बस्तर कांकेर जिला न्यायालय स्थापना के अंतर्गत नीचे लिखित रिक्त पदो पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु आवेदन पत्र दिनॉक 17–09–2013 की शाम 5:00बजे तक स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से तथा न्यायालयीन समय में जिला न्यायालय कांकेर में आमंत्रित किये जाते है । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा ।

(1) रिक्त पदो का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता :–

(अ) स्टेनोग्राफर हिन्दी (5200–20200 +2800) के रिक्त पदो का विवरण

क	वर्ग	पुरुष	महिला	भू0पू0सैनिक	विकलांग	योग	शैक्षणिक योग्यता
1	अनारक्षित	0	0	0	0	0	1–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये 45 प्रतिशत अंको तथा आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2– छत्तीसगढ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र । 3– डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डीसीए)प्रमाणपत्र के साथ एम0एस0वर्ड तथा इन्टरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
2	अनु0जनजाति	3	1	0	0	4	
3	अनु0 जाति	1	0	0	0	1	
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
	कुल	**4**	**1**	**0**	**0**	**5**	

(ब) स्टेनो–क्लर्क (5200–20200 +1900) के रिक्त पदो का विवरण

क	वर्ग	पुरुष	महिला	भू0पू0सैनिक	विकलांग	योग	शैक्षणिक योग्यता
1	अनारक्षित	0	0	0	0	0	1–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये 45 प्रतिशत अंको तथा आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2– छत्तीसगढ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन
2	अनु0जनजाति	1	0	0	0	1	

3	अनु0 जाति	0	0	0	0	0	तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र 3– डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डीसीए)प्रमाणपत्र के साथ एम0एस0वर्ड तथा इन्टरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
	कुल	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	

(स) सहायक ग्रेड–3 (5200–20200 +1900) के रिक्त पदो का विवरण

क्र	वर्ग	पुरूष	महिला	भू0पू0सैनिक	विकलांग	योग	शैक्षणिक योग्यता
1	अनारक्षित	0	0	0	0	0	1–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये 45 प्रतिशत अंको तथा आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2– छत्तीसगढ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र । 3– डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डीसीए)प्रमाणपत्र के साथ एम0एस0वर्ड तथा इन्टरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
2	अनु0जनजाति	10	4	2	1	17	
3	अनु0 जाति	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	
	कुल	**10**	**4**	**2**	**1**	**17**	

(द) नैमित्तिक (कलेक्टर दर) वेतन पर रिक्त पदों वास्ते आवेदन आमंत्रित

क्रमांक	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
01	स्वीपर	02	न्यूनतम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण
02	चौकीदार	01	न्यूनतम 5 वीं कक्षा उत्तीण
	कुल	**03**	

टीप– 1–उपरोक्त पदो की संख्या मे कमी या वृद्धि हो सकती है।

2–महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारो के द्वारा भरा जावेगा ।

3– स्वीपर एवं चौकीदार पदों हेतु उत्तर बस्तर कांकेर जिले के निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी । आवेदकों को साक्षात्कार के उपरांत चयन समिति द्वारा नियुक्ति के योग्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश उनके द्वारा दिये गये पते पर जारी किया जावेगा। नियुक्त स्वीपर एवं चौकीदार को कभी भी एक माह का नोटिस देकर अथवा वेतन देकर बिना किसी सूचना पत्र के उनकी सेवाएं नियुक्तिकर्ता द्वारा संतोष जनक न पाये जाने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा । जिसके लिए नियुक्तिकर्ता का आदेश अंतिम एवं कर्मचारी पर बंधनकारी होगा ।

(2) सेवा के लिए आवश्यक शर्ते :–

(अ) आवेदक की आयु दिनॉक 01–10–2013 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। छत्तीसगढ राज्य से बाहर अन्य राज्यो के आवेदको के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है । जन्मतिथि की सत्यापन हेतु जन्म प्रमाणपत्र या हाईस्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे ।

(ब) निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारो को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी–

1– छत्तीसगढ राज्य का मूल निवासी एवं छत्तीसगढ शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग (क्रिमिलेयर को छोडकर) का हो तो उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक छूट की पात्रता है और उन्हें ही आरक्षण के लाभ की पात्रता होगी ।

2– छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है किन्तु किसी भी स्थिति में आयु सीमा 45वर्ष से अधिक नही होगी ।

3– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारको को अधिकतम आयु सीमा 02 वर्ष की छूट होगी ।

4– अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण पार्टनरो के मामले मे उच्चतम आयु सीमा मे 05 वर्ष की छूट होगी।

5– शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान , महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाडियो तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को उच्चतम आयु सीमा में 05वर्ष तक की छूट होगी ।

6– विकंलाग अभ्यर्थी को अधिकतम 10 वर्ष की छूट– यह छूट छत्तीसगढ के जिला चिकित्सा मंडल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित विकंलागों के उघमी पुर्नवास केन्द्र नेपियर टाउन जबलपुर म0प्र0 के अधीक्षक अथवा छत्तीसगढ शासन के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित विकंलाग प्रत्याशी को ही दी जावेगी ।

7– ऐसे उम्मीदवारो को जो शासकीय कर्मचारी हो या रह चुके हो अधिकतम आयु सीमा में भी नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्यधीन तथा सीमा तक छूट दी जायेगी–

(एक)– अभ्यर्थी जो स्थाई या अस्थाई शासकीय सेवक ,चाहे तो वह राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारी हो या कार्यभारित अथवा आकस्मिकता से वेतन पाने वाला कर्मचारी हो अथवा शासन के द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया हो 38 वर्ष से अधिक आयु का न हो ।

(दो)– ऐसे अभ्यर्थी जो 'छॅटनी किया गया शासकीय कर्मचारी' हो अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व मे की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि 01 से अधिक बार की गई सेवाओं के योग्य हो कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द छॅटनी किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,जो शासन की अथवा किसी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह तक निरन्तर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय मे अपना पंजीयन

कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष कर्मचारियो की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

8— भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा पहले दी गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी बशर्ते उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण — शब्द 'भूतपूर्व सैनिक 'से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहो हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय अथवा पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा मे नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियो की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छँटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियो की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो :—

(एक)— ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतें के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ।

(दो) ऐसा भूतपूर्व सैनिक ,जिसे दुबारा भर्ती किया गया हो और जिन्हे —
(क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण हो जाने पर,
(ख) भर्ती की शर्ते पूर्ण कर देने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल है

(चार) ऐसे कर्मचारी, जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो ।

(पॉच) ऐसे सैनिक जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

9— अधिकतम आयु सीमा मे छूट सम्बधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रो के प्रावधान भी लागू रहेगे । उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी ।

10— छ0ग0 सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के तहत निम्न शर्तें है —

(अ) चयनित उम्मीदवार को मेडिकल बोर्ड उत्तर बस्तर कांकेर से मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ब) कोई चयनित उम्मीदवार चरित्र सत्यापन में शासकीय सेवा के लिए उपयुक्त न पाये जाने पर, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा जिसके संबंध में नियुक्तिकर्ता का आदेश अंतिम होकर उम्मीदवार पर बंधनकारी होगी ।

(3) चयन प्रक्रिया :

नियुक्ति हेतु चयन विधि :—

प्रथम भाग लिखित परीक्षा :—

जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी । जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प दिये गये होंगे । जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान एवं सम सामयिक व कम्प्यूटर विषयों के होंगे । उक्त परीक्षा की अवधि कुल 1:00 घंटा की होगी।

द्वितीय भाग प्रायोगिक परीक्षा :—

लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर मेरीट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के तीन गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर, स्टेनोटायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड—तीन के पद के संबंध में हिन्दी शीध्रलेखन, हिन्दी मुद्रलेखन और कम्प्यूटर की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा । दो उम्मीदवारों द्वारा समान अंक अर्जित करने की दशा में प्रथमतः अधिक आयु वर्ग वाले को वरियता भी दी जावेगी । यदि आयु भी समान होगी, तो प्रथम भाग लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरिष्ठता दी जावेगी । हिन्दी मुद्रलेखन की प्रायोगिक परीक्षा के लिए न्यूनतम 25 शब्द प्रतिमिनट की गति होना आवश्यक है । स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटायपिस्ट के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसका अनुवाद कर समय सीमा में शुद्धता से टाईप करना होगा । लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर चयन हेतु श्रेणी / वर्गवार मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी । 50 अंकों की परीक्षा के लिए न्यूनतम 05 (पांच) अंक पाना अनिवार्य है तथा 100 अंकों की परीक्षा के लिए न्यूनतम 10 (दस) अंक पाना अनिवार्य हैं ।

प्रयोगिक कौशल परीक्षा में निम्नानुसार पूर्णांक रहेंगे :—

हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटायपिस्ट :—

डिक्टेशन	—	50 अंक ।
टायपिंग	—	25 अंक ।
कम्प्यूटर	—	25 अंक ।

सहायक ग्रेड—तीन :—

टायपिंग	—	25 अंक ।
कम्प्यूटर	—	25 अंक ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि, प्रायोगिक परीक्षा (हिन्दी मुद्रलेखन / हिन्दी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर आपरेटिंग) में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, भले ही लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांक चयनित अंतिम उम्मीदवार, जो दोनो लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में बैठा हो, से अधिक क्यों न हो । उपरोक्त दोनो परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा) में प्राप्तांकों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/ वर्गवार तथा अलग

से प्रवीण सूची तैयार की जावेगी तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी । परन्तु ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सब प्रकार से योग्य है । उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैद्य होगी ।

(4)—आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया —

1— आवेदन पत्र इस विज्ञापन में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही ए—4 साइज के पेपर मे टंकित या छायाप्रति कराकर स्पष्ट एवं साफ सुथरे अक्षरो में भर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है । अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनपत्र अमान्य कर दिये जावेगें तथा इस सम्बध में उम्मीदवार को सूचना नही दी जावेगी ।

2— एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करे ।

3— आवेदनपत्र मात्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगे

4— अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा रूपये 5/— का डाक टिकट लगा कर दो लिफाफा (10 X4 इंच) अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।

5— शासकीय/ अर्द्धशासकीय कार्यालय एवं संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी के मामले में आवेदन के साथ नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

6— आवेदनपत्र के साथ शैक्षणिक—योग्यता, मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र , जन्म प्रमाणपत्र, आयु छूट सम्बधी प्रमाणपत्र, विकंलागता प्रमाणपत्र, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि प्रमाणपत्रो की राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित प्रतिया भेजना आवश्यक है ।

7— आवेदन के साथ संलग्न कम्प्यूटर सम्बंधी प्रमाणपत्र की मान्यता सुनिश्चित हो सके इसके लिये आवेदक को चाहिए कि वे कम्प्यूटर प्रमाणपत्र जारी करने वाले विश्वविद्यालय /संस्था के मान्यता के सम्बंध में अधिसूचना/ आदेश की प्रति संलग्न करे ।

8— भरे हुए आवेदनपत्र **जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)** के पते पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य है । आवेदन पत्र अंतिम तिथि दिनांक 17.09.2013 की संध्या 5:00 बजे तक कार्यालय को प्राप्त हो जाने चाहिए, विलम्ब से प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जावेगा ।

9— विज्ञापन एवं आवेदन पत्र के प्रारूप वेबसाइट www.kanker.gov.in/district_court/index.html से डाउनलोड कर सकते है।

10— निर्धारित योग्यता प्राप्त आवेदकों की सूची न्यायालय की सूचना फलक पर चस्पा की जावेगी एवं उक्त सूची उपरोंक्त वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा ।

11— उम्मीदवारो को दिनांक 06 अक्टुबर 2013 को लिखित परीक्षा, हेतु प्रवेश पत्र निहित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारो को प्रेषित किये जावेगे । यदि उम्मीदवारो को डाक से प्रेषित प्रवेश पत्र प्राप्त नही होते है तो उसके लिए कार्यालय अथवा चयन समिति का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । वे एक दिवस पूर्व कार्यालयीन समय में आकर अपना पहचान पत्र, मूल दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे ।

12— प्रायोगिक (कौशल / दक्षता) परीक्षा हेतु पृथक से तिथि चयन समिति द्वारा तय की जावेगी । जिसकी सूचना लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवार वेब साईट www.kanker.gov.in/ district_court/ index.html पर एवं न्यायालय के सूचना पटल पर देखकर प्रायोगिक परीक्षा में पूर्व के प्रवेश पत्र के साथ शामिल होने की पात्रता होगी ।

(5) अन्य आवश्यक सूचनाएँ—

1— छ0ग0 सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षाधीन होगी । कार्य संतोष जनक न पाये जाने पर एक माह नोटिस अथवा वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकेगा इसी प्रकार नियुक्त कर्मचारी बिना एक माह के वेतन जमा कराये अथवा सूचना पत्र दिये सेवा से पृथक नहीं होगा । इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को होगा जो नियुक्त कर्मचारी पर बंधनकारी होगा ।

2— अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी भी चरण में शामिल होने के कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

3— चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

4— उपरोक्त विज्ञापित पद के सम्बध मे परीक्षा एक या एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी ।

5— रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनॉक का उल्लेख आवेदन में करना आवश्यक होगा ।

6— परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नही होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उनका आवेदन / चयन निरस्त कर दिया जावेगा ।

7— चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाणपत्रो की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

8— चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा मंडल से स्वास्थ्य फिटनेश प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा तथा चरित्र सत्यापन कराने पर शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।

05/8/13

अध्यक्ष, चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

पासपोर्ट साईज का फोटो जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो

1– आवेदित पद का नाम –

2– आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी मे) –

3– आवेदक का पूरा नाम
(अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) –

4– पिता / पति का नाम –

5– वर्ग (अनु0जाति / अनु0जनजाति / अपिव) –

6– क्या आप निःशक्त है ! यदि हॉ तो विंकलांगता के प्रकार – – – – – – – – – एवं प्रतिशत – – – – – –

7– क्या आप भूतपूर्व सैनिक है (हॉ / नही) –

8– लिंग (पुरूष / महिला) –

9– पत्र व्यवहार का पता –

– –

10– स्थायी पता –

– –

11– राष्ट्रीयता –

12– जन्मतिथि (अ) अको में – – – – – – – (ब) शब्दो में – – – – – – – – – – – – – – – –

13– आयु (01–10–2013 की स्थिति में) –

14 आयु सीमा में छूट चाहते हो. हॉ / नही –
यदि चाहते है तो छूट का आधार लिखे (प्रमाणपत्र संलग्न करे)

15– यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि –

16– जीवित बच्चो की संख्या –

कमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि

17 क्या आवेदक छत्तीसगढ का मूल निवासी है ; हॉ /नही – – – – – – – – – – – —
(यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्रं की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

18– शैक्षणिक एवं तकनीकी आर्हता –

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/ कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी	बोर्ड / वि0वि0 का नाम
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

19– वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण–
अ– नियोक्ता/ कार्यालय का नाम पता –

ब– धारित पद का नाम एवं वेतनमान का मूल वेतन –

20 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक – – – – दिनॉक – – – – –

रोजगार कार्यालय का नाम –

21– आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजो का विवरण :–

1– 2–

3– 4–

5– 6–

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणापत्र

मै एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापित पात्रता शर्तो को ध्यान से पढा है इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न सभी अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा आवेदित पद के लिये मै निर्धारित योग्यता रखता/ रखती हूँ । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/अपूर्ण पाई जाती है या यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा तथ्यो को छिपाया गया है तो मेरी उम्मीदवारी/ नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जावेगें।

स्थान
दिनॉक

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम एवं पता)

नोट :– कलेक्टर दर पर नैमेत्तिक पद वास्ते उपरोक्त प्रपत्र के क्रमांक 01 से 14 की जानकारी के प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार किये जायेंगे तथा उन्हें साक्षात्कार की सूचना कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर से पृथक से जारी की जावेगी ।